न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना
आपराधिक अपील संख्या–97 / 2001
सी0आई0एस0–1640 / 2014

समेन्द्र नाथ सरकार, पिता–सरोज नाथ सरकार, निवासी लोहनीपुर, थाना–कमदकुआं, जिला–पटना।

..................................अपीलकर्ता

बनाम

बिहार सरकार

....................................अभियोजन

अभियोग का अंतर्गत धाराः–420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड विधान

अपीलकर्ता की ओर सेः– विद्वान अधिवक्ता श्री रामबाबु गुप्ता, न्याय मित्र
अभियोजन की ओर सेः– विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री आरविन्द कुमार सिंह

उपस्थित,

राकेश कुमार–1
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना।

निर्णय की तिथिः– 30 जून, 2026

निर्णय

1. प्रस्तुत अपील अपीलार्थी समेन्द्र नाथ सरकार के द्वारा सामान्य पंजी संख्या 1959 / 1995, विचारण संख्या 150 / 2001 सरकार बनाम समेन्द्र नाथ सरकार जो कोतवाली थाना कांड संख्या 188 / 1995 में श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पटना के द्वारा की गई दोषसिद्धि एवं आदेश दिनांक 28.03.2001 के विरूद्ध लाया गया है, जिसमें न्यायिक दण्डाधिकारी ने अभियुक्त अपीलार्थी को धारा 420, 467, 468, 471 भा0द0स0 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए सभी धाराओं में 03 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी गई है और साथ–ही–साथ यह भी आदेश पारित किया गया है कि सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

2. अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि सोमेन्द्र नाथ सरकार के बचत खाता संख्या 916 से निकासी के लिए अपीलार्थी ने बैंक में बिना पासबुक के बिड्रावल दाखिल किया। धनराशि ज्यादा होने के कारण बैंक के पदाधिकारियों को संदेह हुआ तो उन्होंने अपीलार्थी से पासबुक की मांग की। खाता को जांच करने पर पाया गया कि कोई 75,000/– रुपए की राशि खाता संख्या 916 में जमा नहीं की गई है। काउंटर पर जो अपीलार्थी से मांग की गई थी, उसमें चेक संख्या 317404 अंकित था, लेकिन ऐसा कोई चेक बैंक में दाखिल नहीं किया गया था। अपीलार्थी के द्वारा बैंक से अधिक धन निकालने का प्रयास किया गया जो अधिकारियों की चौकसी के कारण बच गया।

3. सूचक के उक्त लिखित आवेदन के आधार पर कोतवाली थाना कांड संख्या 188/1995 अपीलार्थी अभियुक्त के विरूद्ध धारा 467, 468, 471, 420 भा0द0स0 के अंतर्गत दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा दिनांक 31.07.1995 को उपरोक्त धाराओं में अपराध का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी श्री राधेश्याम सिंह के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध 19.08.1995 को उपरोक्त धाराओं में आरोप का गठन किया गया, जिसे इन्कार करते हुए विचारण का दावा किया गया। अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष का साक्ष्य लिया गया और इसके पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं आदेश पारित किया और अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते हुए धारा 467, 468, 471, 420 में तीन वर्ष की सजा का दण्डादेश दिया गया।

4. अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर लाया गया है कि विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश कानून एवं तथ्यात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण है एवं न्यायसंगत नहीं है। विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा जो निर्णय पारित किया

गया है, उसमें अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 467, 468, 471 का कोई तथ्य अभिलेख पर मौजूद नहीं है। अभिलेख पर ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी के किस कार्य से किसी को सदोष हानि या किसी सदोष लाभ प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी के द्वारा अपील ज्ञाप में यह भी तर्क दिया गया है कि जहां तक बैंक के लेजर में गलत प्रविष्टि की जो बात कही गई है, वह दस्तावेज ग्राहक या आम जनता के पास में नहीं रहता है, बल्कि वह एक मूल्यावान दस्तावेज है जो बैंक के अधिकारी के संरक्षण में रहता है। जहां तक प्रदर्श–3/1 का प्रश्न है, वह काफी कमजोर साक्ष्य है, जिसके आधार पर किसी को दोषसिद्धि नहीं किया जा सकता है। आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह भी है कि अभियोजन को अपने वाद को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सिद्ध करना होता है। विपक्षी के कमजोरी से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अतः अपील को मंजूर करते हुए अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाए।

5. अपीलार्थी इस अपील में काफी लंबे समय से अनुपस्थित है। उनके विरूद्ध समन, जमानतीय अधिपत्र तक निर्गत किया गया है, उसके बावजूद उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से कोई उपस्थित हुआ। उसके पश्चात न्यायालय द्वारा न्यायमित्र के रूप में श्री रामबाबु गुप्ता, एल0आर0डी0सी, को नियुक्त किया गया। अपीलार्थी की ओर से विद्वान एल0आर0डी0सी0 श्री रामबाबु गुप्ता एवं सरकार की ओर से विद्वार अपर लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात इस अपील के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं का निर्धारित होना अत्यावश्यक हैः–

i. क्या जो साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है, उन साक्ष्यों से अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 467, 468, 471, 420 का आरोप सिद्ध होता है या नहीं?

ii. क्या विचारण न्यायालय का निर्णय और आदेश जो सामान्य पंजी संख्या 1959/1995 में पारित किया गया है, वह संपुष्टि योग्य है या अपास्त किए जाने योग्य है?

निष्कर्ष

6. सामान्य पंजी संख्या 1959/1995 का अवालेकन किया, जिससे विदित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है तथा विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 07 साक्षियों का साक्ष्य काराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–1 आर्य विशेश्वर राव, अभियोजन साक्षी संख्या–2 जगदीश पाठक, अभियोजन साक्षी संख्या–3 कन्हैया सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या–4 शिशिर कुमार मिश्रा, अभियोजन साक्षी संख्या–5 अशोक कुमार सिन्हा, अभियोजन साक्षी संख्या–6 भगीरथ मंडल एवं अभियोजन साक्षी संख्या–7 राम प्रसाद सिंह हैं। उक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेजों प्रदर्श अंकित कराया है–

प्रदर्श–1	लिखित आवेदन
प्रदर्श–1/1	लिखित आवेदन पर थाना प्रभारी द्वारा किया गया अनुसंधान का पृष्ठांकन
प्रदर्श–2	जब्ती सूची पर साक्षी आर्य विशेश्वर राव का हस्ताक्षर
प्रदर्श–3 एवं 3/बी	जब्ती सूची पर गवाहों का हस्ताक्षर
प्रदर्श–3/ए	जब्ती सूची पर प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर
प्रदर्श–3	अभियुक्त का लिखा पत्र दिनांक 31.05.95
प्रदर्श–3/1	अभियुक्त का लिखा पत्र दिनांक 01.06.95
प्रदर्श–3/2	जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर साक्षी भगीरथ मंडल का हस्ताक्षर
प्रदर्श–5	औपचारिक प्राथमिकी
प्रदर्श–X से X/2	निकासी फार्म तथा जमा का फार्म तथा पासबुक पहचान हेतु

7. वही अपीलार्थी के तरफ से अपने बचाव में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियेां में से सर्वप्रथम इस वाद के सूचक आर्य विशेश्वर राव जो साक्षी संख्या–1 के रूप में अपना साक्ष्य दिया है, उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 31.05.1995 को भारतीय स्टेट बैंक की फ्रेजर रोड शाखा में मुख्य प्रबंधक के रूप में पदस्थापित था। उस दिन समेन्द्र नाथ बैंक में आए, क्योंकि उनके पिता का बचत खाता था। अभियुक्त 72,000/– रुपए की निकासी फार्म के साथ आया था। फार्म के साथ पासबुक उनके पिता सरोज नाथ सरकार का था। बचत खाता पेंशनभोगी का खाता था। इससे भारी रकम का निकासी का था, इसलिए भुगतान के समय काफी जांच–पड़ताल किया गया, जिसके दौरान यह पाया कि क्रेडिट रकम 75,000/– रुपए जाली था। क्रेडिट इंट्री जो लेजर में किया गया था, वह गलत था। अभियुक्त से 75,000/– रुपए जमा करने का काउंटर फाइल (अधकट्टी) मांगा गया तो दूसरे दिन अधकट्टी जमा करने वाला रसीद लाकर दिखाया, जो जाली था। इस तरह बैंक में कोई चेक जमा नहीं हुआ था। अभियुक्त ने उसके बैंक से जाल कर भुगतान लेने की कोशिश किया जो कर्मचारियों की सतर्कता से पकड़ा गया। साक्षी ने लिखित आवेदन को प्रदर्श–1 अंकित कराया है। आगे यह भी कहते हैं कि अभियुक्त के पास से पासबुक, निकासी फार्म, बैंक काउंटर फाइल तथा दो चिट्ठी बरामद किया गया। चिट्ठी समेन्द्र नाथ सरकार के द्वारा लिखा गया था, जो धोखाधड़ी के संबंध में था। लेजर शीट, खाता खोलने का फार्म जब्त किया। सभी कागजातों का जब्ती सूची मेरे समक्ष तैयार किया गया था। साक्षी ने जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर को प्रदर्श–2 अंकित कराया है। दिनांक 31.05.1995 को अभियुक्त समेन्द्र नाथ ने एक पत्र ब्रांच मैनजेर को दिया था, जो शाखा प्रबंधक के नाम से संबोधित था, जो मेरे समक्ष जब्त किया गया था तथा जो अभियुक्त के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे पहचानते हैं, साक्षी ने उसे प्रदर्श–3 अंकित (बचाव पक्ष के आपत्ति के साथ) कराया है। आगे यह भी कहते हैं कि दिनांक 01.06.1995 को अभियुक्त द्वारा मेरे समक्ष यह पत्र लिखा गया जो अभियुक्त के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे प्रदर्श–3/1 अंकित कराया है। अभियुक्त को पहचानते हैं।

प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में कहते हैं कि मेरे ब्रांच में बचत खाता का अलग काउंटर है तथा अन्य खातों का अलग–अलग काउंटर है। बचत खाता का तीन काउंटर है, एक कैश भुगतान का काउंटर, ट्रेलर भुगतान काउंटर है आगे यह भी कहते हैं कि मेरे शाखा में 10 पदाधिकारी हैं तथा 30 कर्मचारीगण हैं। स्टाफ का पदास्थापन ड्यूटी छः माह पर बदलते रहता है। कंडिका 11 में कहते हैं कि मई 1995 में बचत खाता के तीनों काउंटर पर कन्हैया सिंह, अशोक कुमार सिन्हा तथा एक का नाम याद नहीं आ रहा है। इसमें ये संभव है कि फेरबदल हो सकता है स्टाफ के छुट्टी जाने पर। कंडिका 13 में कहते हैं कि 04.05.1995 को बचत खाते काउंटर पर कौन–कौन काम किया है याद नहीं है। कंडिका 14 में कहते हैं कि बैंक के बचत खाता लेजर बैंक का बहुमूल्य लेजर बुक होता है, इसके संबंधित स्टाफ इसे आलमिरा में कार्यावधि के बाद रख देते हैं। इस लेजर बुक को जनता द्वारा देखने या छुने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अभियुक्त 31.05.1995 को बैंक में 01.00 बजे दिन में आया था। अभियुक्त मुझे निकासी का फार्म नहीं दिया था। कंडिका 16 में कहते हैं कि 75,000/– रुपए का लेजर में दिनांक 16.05.1995 को इंट्री किया गया था। कंडिका 17 में कहते हैं कि मुदालय से 31.05.1995 को काउंटर फाइल मांगा गया तो मुदालय 01.06.1995 को मेरे बैंक में आया और 75,000/– रुपए जमा करने का अधकट्टी दिया। कंडिका 18 में कहते हैं कि केस करने के लिए लिखित आवेदन 10.00 बजे रात्रि में दिया था। अभियुक्त 01.06.1995 को दोपहर 01.00–02.00 बजे बैंक में आया था। आगे यह भी कहते हैं कि दिनांक 01.06.1995 को मारपीट कर यह प्रदर्श–3/1 लिखवाया गया था, यह कहना बिल्कुल गलत हैं। आगे यह भी कहना बिल्कुल गलत है कि दबाव डालकर 01.06.1995 को प्रदर्श–3/1 लिखवाया है। कंडिका 20 में कहते हैं कि मैंने अपने लिखित आवेदन में यह नहीं लिखा है कि यह बचत खाता पेंशन लोगों का खाता है। कंडिका 21 में कहते हैं कि दिनांक 04.05.1995 का जमा काउंटर फाइल पर मुहर लगा हुआ है, लेकिन यह मुहर किसका का है यह पता नहीं चलता है कि

किस बैंक एवं बैंक शाखा का है। कंडिका 23 में कहते हैं कि जिस समय मैं केस किया उस समय अभियुक्त को पुलिस के हवाले सुपुर्द किया।

अभियोजन साक्षी संख्या–3 कन्हैया सिंह जो भारतीय स्टेट बैंक, फ्रेजर रोड शाखा में दिनांक 31.05.1995 को पदास्थापित था तथा उनका कहना है कि मेरा बचत खाता काउंटर पर पैसा निकालने के लिए लोगों को टोकन जारी कर रहा था। आगे कंडिका 2 में कथन करते हैं कि समेन्द्र नाथ सरकार को जानता हूं। इनके लड़के मेरे पास पहुंचे थे। लड़के का नाम नहीं जानता जो आदमी मेरे यहां पहुंचा आज वह न्यायालय में नहीं है, उसे देखकर पहचानत सकता हूं। समेन्द्र को भी चेहरा से पहचानता हूं। उन्होंने एक बिड्रावल फार्म 72,000/– रुपए का दिया तथा पासबुक दिया। इसके बाद मैं पीछे दस्तखत करने का टोकन दिया। उसका टोकन नं0 9 है। इसके बाद उनका कथन है कि उसे शक हुआ हमेशा उससे कम रकम का बिड्रवल होता था। चूंकि अधिक रकम का था इसलिए शक हुआ। मैं तब पर्सनल बैंकिंग मैनेजर से मिला और बताया कि दैनिक बही में स्क्रुटनी किया तो उसमें उस दिन उस तरह का जमा नहीं था। तब हमने उसी दिन बुलाकर उनसे टोकन ले लिया और कहा जमा करने का रसीद लाइये तब वे 01.06.1995 को रसीद लाये। रसीद को देखा जो गलत था। मैंने अपना लेजर भी देखा उस तरीख में रूपया जमा था लेकिन गलत जमा था। कंडिका 3 में कहते हैं कि मुदालय ने बैंक से धोखाधड़ी करके पैसा निकालने की कोशिश किया। पासबुक देखा था, पासबुक में चढ़ा हुआ है। लेजर के अनुसार यही वह बिड्रवल है जिस पर मुदालय के पिता का हस्ताक्षर है। इस बिड्रावल के पीछे वाला हस्ताक्षर मेरे सामने किया गया। इसे प्रदर्श–1 अंकित किया गया। जमा पर्ची के पीछे भी ममुदालय ने दस्ताखत किया है इसे भी पहचानता हूं। इसे प्रदर्श–1/1 अंकित कराया गया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में कहते हैं कि मैं स्टेट बैंक में 22 वर्ष से काम करता हूं। आगे यह भी कहते हैं कि पर्ची भी भरकर कस्टमर देते हैं पैसा जमा करने के लिए। पे–इन स्लिम से पैसा जमा हो जाने पर लेजर पर कस्टमर का नाम तथा

रकम दर्ज की जाती है। लेजर को देखकर ही पासबुक बनता है और पासबुक में लेजर के मुताबिक ही इंट्री की जाती है, लेजर तथा पासबुक दोनों पर बैंक के स्टाफ ही इंट्री करते हैं। पासबुक कस्टमर के पास रहता है और लेजर बैंक में सेफ कस्टडी में काउंटर पर रहता है। कस्टमर को लेजर नहीं छुने दिया जाता है। कंडिका 6 में कहते हैं कि जब यह बिड्रावल बैंक में दिया गया उस समय बैंक लेजर में 75061/– रुपया का इंट्री थी। कंडिका 7 में कहते हैं कि 01.06.1995 को हमलोग अभियुक्त के सभी कागजात लेकर मुख्य प्रबंधक के पास ले गए। यह कहना गलत है कि हमलोग अभियुक्त से जबरदस्ती कागजात लिखवाया। वहां पर पुलिस को बुलाया गया तथा आवश्यक कार्यवाही की गई। कंडिका 8 में कहते हैं कि 31.05.1995 का जो बिड्रावल फार्म जमा किया गया था। उस पर पैसा की निकासी नहीं हुई।

अभियोजन साक्षी संख्या–4 शिशिर कुमार मिश्रा का उनका मुख्य परीक्षण में कथन है कि मैं 1995 में एस0बी0आई0, फ्रेजर रोड शाखा में पदस्थापित था। मेरी ड्यूटी उस दिन करंट एकाउन्ट काउंटर पर था। वहां निकासी एवं जमा का काम होता था। उस दिन समीन्द्र नाथ सरकार 72,000/– रुपए का निकासी लेकर आए थे, वे काउंटर से टोकन लिया। उस काउंटर पर कन्हैया सिंह नाम के व्यक्ति काम कर रहे थे। अधिक रुपये कि निकासी देखकर पर्सनल बैंकिंग मैनेजर को भेरीफाई करके पास करने को कहे। 75,000/– रुपए क्रेडिट था उसको भेरफाई करने के संबंध में पाया गया कि वह इंट्री गलत थी। समीन्द्र नाथ से पुछा गया तो वे बोले कि वह चेक 75000/– रुपए का जमा किये थे। उनसे रसीद दिखाने को कहा या तो वह बोले कि घर छुट गया है। दूसरे दिन वह एक गलत काउंटर फाइल लेकर आये तो इसी संदेह पर पुलिस को सूचना दी गई। यही वह काउंटर फाइल है जो मुदालय घर से लेकर आया था। इस पर पता नहीं चल रहा है कि कहां का मुहर है तथा उस पर किसी का हस्ताक्षर है या नहीं। यही वह बिड्रावल फार्म है जो पैसा निकालने के लिए दिए थे। यही उनका पासबुक है

जिसमें 75,061.87 का वैलेंस दर्ज है। समेन्द्र नाथ सरकार को पहचानता हूं। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब अपने खाता में चेक जमा करता है तो बैंक से पे–इन स्लिप लेता है उस पर कस्टमर खुद लिखता है कि कितना का चेक है, चेक नंबर क्या है तथा खाता नंबर आदि लिखता है तथा दस्ताखतर करता है। यह पे–इन स्लिप दो भागों में रहता है एक भाग बैंक में रह जाता है उसका अधकट्टी कस्टमर को दे दिया जाता है। बैंक वाले भाग पर जमा करने वाला का हस्ताक्षर रहता है। कस्टमर वाले भाग पर बैंक का मुहर लगता है तथा जो पैसा अधिकारी प्राप्त करते हैं वह अपना लघु हस्ताक्षर करते हैं। 75000/– रुपए जमा करने का जो अधकट्टी है उस पर स्टेट बैंक आफ इंडिया का मुहर है। लेकिन उस पर पासिंग अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। यह 04.05.1995 का है। कंडिका 4 में कहते हैं कि समीन्द्र नाथ सरकार ने 72000/– रुपए का बिड्रावल उसे नहीं दिया था। मैंने पुलिस को कोई कागज नहीं दिया था। उस दिन कन्हैया सिंह उस काउंटर पर कार्य कर रहे थे। समीन्द्र ने बिड्रावल कितने बजे जमा किया था नहीं बता सकता। न्यायालय द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि 72,000/– रुपए वाले बिड्रावल के संबंध में उसने कोई कार्य उस संबंध में नहीं किया था। उसने सिर्फ पासबुक में 75000/– रुपए की इंट्री किया है। कंडिका 5 में कहते हैं कि 75000/– लेजर देखकर मैं चढ़ाया था। कंडिका 7 में कहते हैं कि 75000/– रुपए की इंट्री जो लेजर में की गई वह गलत थी। इसका सत्यापन मैंने नहीं दिया था। आगे कहते हैं कि इस मामले में लेजर में लघु हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि वह किसका हस्ताक्षर है। लेकिन उस लेजर पर बैंक अधिकारी लघु हस्ताक्षर करता है। लेजर किसी भी पब्लिक को नहीं दिखाया जाता है, केवल बैंक स्टाफ देखते हैं। मैंने उस लघु हस्ताक्षर तथा इंट्री को सही मानकर ही इनके पासबुक में दर्ज किया था।

अभियोजन साक्षी संख्या–5 अशोक कुमार सिन्हा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि समेन्द्र नाथ सरकार को नहीं जानता हूं। वे स्वतः कहते हैं

कि वे कभी–कभी बैंक आते हैं, वे अपने पिता के पेंशन निकालने के लिए आते थे। आगे कहते हैं कि 31.05.1995 को समेन्द्र नाथ सरकार अपने पिता सरोज लाल सरकार के पेंशन एकाउन्ट से निकालने के लिए 72,000/– रुपए का बिड्रावल फार्म जिस पर उसके पिता का हस्ताक्षर था, पासबुक के साथ काउन्टर क्लर्क कन्हैया सिंह को दिए। कन्हैया सिंह ने टोकन दिया और लेजर को देखा। अधिक रकम होने के कारण उसे पर्सनल बैंकिंग मैनेजर को जांच के लिए भेजा। उन्होंने सभी दस्तावेजों को देखने के बाद लेजर में 75,000/– रुपए का इंट्री का ट्रेस नहीं मिला। उसके बाद पी0बी0 मैनेजर ने सरकार से पुछा तो उन्होंने काउन्टर फाइल घर पर छोड़ने की बात कही। अगले 01.06.1995 को काउन्टर फाइल लाए जो गलत था, तब मैनेजर ने आगे की कार्रवाई की। इस मामले में लिखित प्रतिवेदन आर0एन0 श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है तथा उस पर श्री ए0बी0 राव का हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में कहते हैं कि वे बैंक में करीब 16 वर्षों से काम कर रहे हैं। बैंक की पूरी प्रक्रिया जानते हैं। कैश पे–इन स्लिप के द्वारा जमा किया जाता है। चेक भी एकाउन्ट होल्डल अपने खाते में किसी भी बैंक का जमा कर सकता है। चेक को जमा करने के लिए पे–इन स्लिप की आवश्यकता होती है। पे–इन स्लिप पार्टी अपने भर कर लाते हैं। पे–इन स्लिप के अधकट्टी जो कस्टमर को देना होता है उस पर संबंधित लिपिक हस्ताक्षर करके मुहर लगाकर दे देता है। कंडिका 4 में कहते हैं कि वे इसका एफ.आई.आर. पहली बार आज से करीब एक माह पहले मार्च महीने में देखा था। प्राथमिकी प्रदर्श–1 पर उसका कोई लघु हस्ताक्षर या हस्ताक्षर नहीं है। प्राथमिकी उसके सामने नहीं लिखी गई थी। कंडिका 5 में कहते हैं कि कन्हैया सिंह से इस संबंध में बातचीत 31.05.1995 एक बजे दिन से ढाई बजे दिन के बीच बातचीत हुई थी। कन्हैया सिंह से जो बातचीत हुई थी उसे उसने लिखकर कहीं नहीं रखा। कंडिका 6 में कहते हैं कि 72,000/– रुपए निकासी से संबंधित कोई भी कार्य उसने नहीं किया था।

अभियोजन साक्षी संख्या–6 भगीरथ मंडल अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह जब्ती सूची 01.06.1995 उसके सामने स्टेट बैंक ब्रांज फ्रेजर रोड पर बना था। इस थाने के पुलिस इन्सपेक्टर के द्वारा बनाया गया था। सेविंग बैंक जमा वाउचर जो एस0एन0 सरकार के नाम से था, जो 75,000/– रुपए का था, जिसे 04.05.1995 को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बैंक बिड्रावल 31.05.1995 को प्रस्तुत किया गया । सोमेन्द्र नाथ सरकार के द्वारा शाखा प्रबंधक फ्रेजर रोड को इकबालिया बयान का चिट्ठी भी दिया था। साक्षी ने **ज**ब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर को पहचान की है और उसे प्रदर्श–3/2 से अंकित कराया गया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 2 में कहते हैं कि पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। वे दिनांक 20.05.1995 से 12.06.1995 तक फ्रेजर रोड शाखा में प्रतिनियुक्त पर गया था। कंडिका 3 में कहते हैं कि फार्म जो भरा नहीं रहता है, वह खुला रहता है। बैंक के कागजात को पब्लिक को छुने नहीं दिया जाता है। सोमेन्द्र नाथ सरकार ने स्वयं अपना इकबालिया बयान लिखकर दिया था। यह गलत है कि शाखा प्रबंधक ने सोमेन्द्र नाथ सरकार से जबरदस्ती इकबालिया बयान लिखवाया, क्योंकि अधिकारियों का जान बचे।

अभियोजन साक्षी संख्या–2 जगदीश पाठक जो कोतवाली थाना में स0उ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। उनका कहना है कि 01.06.1995 को संध्या गश्ती में निकला हुए थे तथा मोबाइल से फ्रेजर रोड स्थित मयूर होटल के पास पहुंचे तो सूचना मिली कि मयूर होटल के निचले तल पर स्थित स्टेट बैंक की शाखा में एक व्यक्ति फ्रॉजरी करते पकड़ा गया है तथा इस सूचना के आधार पर वहां पहुंचा तथा प्रबंधक के पास गया तो वह बताये कि एक व्यक्ति जिसे पकड़ कर वह अपने पास बैठाये हुए थे वह उनके बैंक से धोखा करके फॉर्जरी करके पैसा निकालने का प्रयास करते समय पकड़ा गया था तथा जांच से पता चला कि संबंधित खाता में पैसा नहीं था तथा उसके पास से निकासी फार्म, पासबुक तथा अपने स्वेच्छा से प्रबंधक को एक पत्र लिखकर दिया गया था। साक्षी का कहना है कि गवाहों के

समक्ष जब्ती सूची तैयार किया। साक्षी प्रदर्श–1 को देखकर बताते हैं कि यह लिखित आवेदन श्री राव ने उसे दिया था, पहचानता है। प्रदर्श–2 को देखकर यह भी बताते हैं कि यह वही जब्ती सूची है जो उसने तैयार किया था, जिसकी एक प्रति अभियुक्त को देकर उससे पावती का दस्तखत बनवाया था। जब्ती सूची के साक्षी रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव, जगदीश मंडल अपना हस्ताक्षर बनाया था, जिसे क्रमशः प्रदर्श–4 एवं 4/1 अंकित कराया गया। प्रदर्श–3 तथा 3/ए वाला पत्र देखकर बोलते हैं कि यही वह पत्र जिसे प्रबंधक ने उसे दिया था, पहचानते हैं। साक्षी स्वतः कहता है कि पकड़ाए हुए व्यक्ति से पूछा तो वे बताए कि प्रबंधक को वह लिखकर दिया था (आपत्ति के साथ)। कंडिका 3 में कहते हैं कि साक्षी निकासी फार्म, जमा का फार्म तथा पासबुक देखकर बताये कि ये सभी कागजात प्रबंधक ने उक्त रूप से उसे दिया, पहचानते हैं। इसे पहचान हेतु क्रमशः प्रदर्श– X, X1 & X2 से चिन्हित कराया है। प्रदर्श–X & X2 से चिन्हित फार्म को अभियुक्त अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर में लिखा हुआ बताया था। कंडिका 4 में कहते हैं कि मैं अभियुक्त का लिखावट एवं हस्ताक्षर को जो पहले का लिखा हुआ है, नहीं पहचान सकता हूं। साक्षी ने औपचारिक प्राथमिकी को प्रदर्श–5 से अंकित कराया है। साक्षी अभियुक्त को देखकर पहचानने का दावा भी करता है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में कहते हैं कि मयूर होटल के गेट के पास फुटपाथ पर 5–6 डेग की दूरी पर था तो उक्त घटना की सूचना उसे मिली। उस समय 06.00 बजे रहे होंगे। कंडिका 13 में कहते हैं कि केवल मैं जब्ती सूची बनाया था। बैंक परिसर में आधा घंटा तक रूका था। कंडिका 20 में कहते हैं कि मेरा बयान अनुसंधानकर्ता ने लिया था। मैंने उनके समक्ष यह बयान दिया थाा कि अभियुक्त से पुछा तो वह बताये कि उक्त पत्र को स्वेच्छा से लिखकर उसने प्रबंधक को दिया दिया था। कंडिका 22 में कहते हैं कि अभियुक्त भागने का प्रयास नहीं किया। आगे यह भी कहते हैं कि अभियुक्त को थाना में सुपुर्द किया, उसके बाद मैं कभी नहीं देखा।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना
आपराधिक अपील संख्या–97/2001

अभियोजन साक्षी संख्या–7 राम पदारथ सिंह जो इस कांड के अनुसंधानक हैं, उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 01.06.1995 को कोतवाली थाना में पदस्थापित था। यह लिखित प्रतिवेदन आर0 परमेश्वर राव के लिखावट में है ये भारतीय स्टेट बैंक फ्रेजर रोड, पटना के मुख्य प्रबंधक है। उनके लिखित प्रतिवेदन के आधार पर यह औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान का भार मुझे दिया गया था। लिखित प्रतिवेदन पर केस दर्ज करने और अनुसंधान का पृष्ठांकन आरीक्षी निरीक्षक–सह–थाना प्रभारी के लिखावट में है मैं पहचानता हूं, इसे प्रदर्श–1/1 से अंकित कराया गया है। आगे यह भी कहते हैं कि लिखित प्रतिवेदन तथा जब्ती सूची कोतवाली थाना के स0उ0नि0 जगदीश पाठक से मिला था। मैंने जगदीश पाठक का बयान लिया था। मैं अभियुक्त का दोष स्वीकारोक्ति बयान भी लिया था। एक आवेदन भी था। यही वह दोनों आवेदन है जो दिनांक 31.05.1995 और 01.06.1995 का है जो पूर्व से प्रदर्श 3 तथा 3/1 अंकित है। कंडिका 3 में कहते हैं कि निकासी करने वाले पैसा आदि का निकासी करते हैं। लेजर रखने का स्थान सुरक्षित नहीं है। लेजर रैक में रखा था बहुत सा लेजर रैक में रखा था। कंडिका 4 में कहते हैं कि मैं वादी से लेजर बुक की छायाप्रति प्राप्त किया था। लेजर में 16.05.1995 को 75000/– रुपए जमा करने की प्रविष्टि है तथा 16.05.1995 को 100/– रुपए निकासी करने की प्रविष्टि है तथा शेष बैलेंस 61.87 रुपया है।(अपत्ति के साथ) यही वह लेजर बुक की फोटो कापी है जो मैंने मुख्य प्रबंधक से प्राप्त किया जो तीन पन्नों में इसे पहचान के लिए X, X1 & X2 अंकित किया गया। आगे कहते हैं कि मुदालय के विरूद्ध धारा 467, 468, 471, 420 भा0द0स0 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में कहते हैं कि अनुसंधान का भारा 01.06.1995 को 21.45 बजे मिला एवं बैंक में कितने कर्मचारी काम करते हैं मैं नहीं लिखा। सेविंग बैंक युनिट एवं करंट बैंक युनिट में कौन से अधिकारी काम कर रहे थे नहीं जांच किया। सेविंग बुक एकाउन्ट का कितना लेजर बुक था यह मैं नहीं बता सकता हूं। कंडिका 7 में कहते हैं कि जगदीश पाठक ने यह मुझसे नहीं कहा था कि अभियुक्त ने पत्र

स्वेच्छा से लिखा था एवं दियाथा। शिशिर कुमार मिश्रा ने अपने बयान में कन्हैया सिंह नामक व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। इन्होंने यह मेरे सामने नहीं कहा था कि अधिक रुपए का निकासी देखकर पी0बी0 मैनेजर से सत्यापित करके पास करने को कहा था। उन्होंने यह भी नहीं कहा था कि मुदालय गलत काउन्टर फोलियो लेकर आयाथा और गलत मुकदमा किया था।

9. अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्षियों की विवेचना करने के पूर्व न्यायालय इस अवस्था में सर्वप्रथम जिस आरोप में अपीलार्थी/अभियुक्त को दंडित किया गया, उसके संबंध में दिये गये प्रावधानों का उल्लेख करना न्यायालय आवश्यक समझती है।

415. छल– जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रख रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे, जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति सम्बन्धी या आम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी सम्भाव्य है, वह ''दल'' करता है, यह कहा जाता है।

463. कूटरचना– जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या दस्तावेज के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाये, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाये, या यह कारित किया जाय कि कोई व्यक्ति सम्पत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूटरचना करता है।

464. मिथ्या दस्तावेज रचना– उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज रचता है–

पहला– जो बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी दस्तावेज को, या दस्तावेज के भाग को इस आशय से रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है या दस्तावेज का निष्पादन द्योतन करने वाला कोई चिन्ह लगाता है कि यह विश्वास किया जाय कि, ऐसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्राकरण या निष्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा, या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा, किया गया था जिसके द्वारा, या जिसके प्राधिकार द्वारा, उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्राकरण या निष्पादन न होने की बात वह जानता है, अथवा ऐसे समय पर हुआ था जिस समय वह जानता है कि उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्राकरण या निष्पादन नहीं हुआ था, अथवा

दूसरा– जो किसी दस्तावेज के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज के रचित या निष्पादित किये जाने के पश्चात, उसे रद्द करने द्वारा या अन्यथा, विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना, बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है, अथवा

तीसरा– जो किसी व्यक्ति द्वारा, यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति किसी दस्तावेज की विषयवस्तु को, या परिवर्तन के रूप को, चित्तविकृति या मत्तता की हालत में होने के कारण जान नही सकता या उस प्रवंचना के कारण जो उससे की गई है, जानता नहीं है, उस दस्तावेज का बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित किया जाना कारित करता है।

10. आपराधिक न्याय शास्त्र का मूल सिद्धांत है कि जब तक आरोपी को दोषसिद्ध न हो जाय, उसे निर्दोष माना जाता है। अभियोजन पक्ष पर ही आरोपी के आरोप को संदेह से सिद्ध करने का पूर्ण भार होता है और यह भार अभियुक्त पर नहीं पड़ता (कुछ अपवादों को छोड़कर) आपराधिक न्यायशास्त्र का स्वर्णिम सिद्धांत यह है कि यदि दो मंतव्य साक्ष्य से आते हैं तो जो अभियुक्त के पक्ष में हो उसी को ग्रहित किया जाता है। (Kali Ram Vs State of Himanchal Pradesh Ma SC 0121/973, State of Rajsthan Vs Rana Rail Ma S/C 0595 2003, 8 SCC 180, Chandrappa and others Vs state कानून के स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उभय पक्षों के तर्कों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्य के आधार पर न्यायालय को यह देखना है कि क्या अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोप को अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपने पिता के खाता संख्या 916 गलत प्रविष्टि कर दिनांक 31.05.1995 को 72,000/– रुपए निकासी के लिए बिड्रावल फार्म बैंक में जमा किया और टोकन देने के पश्चात बैंक के पदाधिकारी को संदेह हुआ तो उन्होंने प्रबंधक से पुछताछ किया और सभी कागजात को प्रस्तुत किया और अपीलार्थी से पैसा जमा करने का रसीद मांगा गया तो वह घर पर छूटने की बात बताया तो उसे बैंक में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया तो अपीलार्थी/अभियुक्त जो खाताधारी का पुत्र है उसने दिनांक 01.06.1995 को उपरोक्त बैंक पावती का अधकट्टी (प्रदर्श–) बैंक में प्रस्तुत किया गया तो जांच के पश्चात बैंक के पदाधिकारी द्वारा पता चला कि उपरोक्त राशि बैंक में जमा ही नहीं की गई है। इस संबंध में अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 31.05.1995 एवं 01.06.1995 जिसे अभियोजन ने प्रदर्श–3 एवं 3/1 अंकित कराया है, जिसको आधार मानते हुए विद्वान विचारण न्यायालय अपीलार्थी/अभियुक्त को 420, 467, 468 एवं 471 में दोषी माना है, लेकिन कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपने मामले को संदेह से परे साबित करना होता है अभियुक्त के कमजोरी का कोई फायदा अभियोजन को प्राप्त नहीं होगा।

11. इस आपराधिक अपील संख्या 97/2001 जो कोतवाली थाना कांड संख्या 188/1995 दिनांक 01.06.1995 तत्कालीन शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, फ्रेजर रोड के लिखित आवेदन प्रदर्श–1 के आधार पर दर्ज किया गया है। इस बिन्दु पर न्यायालय सर्वप्रथम साक्षी संख्या–1 आर्य विशेश्वर राय के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में तो प्राथमिकी का पूर्ण रूप से समर्थन किया है और अभियुक्त के द्वारा बैंक में समर्पित पासबुक, निकासी, फार्म, काउन्टर फाईल एवं दो चिट्ठी जो क्रमशः प्रदर्श–3 एवं 3/1 से प्रदर्श अंकित कराया है, उसे बरामद करने का बयान दिया है। आगे कंडिका 11 में कहते हैं कि मई 1995 में बचत खाता काउन्टर पर कन्हैया सिंह, अशोक कुमार सिन्हा एवं एक का नाम याद नहीं है। इस बिन्दु पर कन्हैया सिंह जो अभियोजन साक्षी संख्या–3 के रूप में अपना साक्ष्य दिया है, उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि समीन्द्र सरकार को जानता हूं। उनके लड़के मेरे पास पहुंचे थे। समीन्द्र को चेहरा से पहचानता हूं। उन्होंने एक विड्रावल 72,000/– रुपया का दिये, पासबुक दिये उसके बाद मैं पीछे दस्तख्त कर टोकन दिया। उसका टोकन नं0–9 है। उसके बाद आगे कहते हैं कि मुझे शक हुआ हमेशा उसका रकम कम रहता था। बिड्रावल का रकम अधिक था इसलिए शक हुआ। आगे उनका कहना है कि दैनिक बही में स्क्रुटनी किया। उस दिन उस तरह का जमा नहीं था तो टोकन अभियुक्त से ले लिया। मैं अपने लेजर भी देखा उस तारिख में रुपया जमा था लेकिन गलत जमा था। आगे कंडिका 3 में कहते हैं कि बैंक से धोखाधड़ी करके पैसा निकालने का कोशिश किया था। पासबुक देखा था। पासबुक में चढ़ा था। प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि पे–इन स्लिप से पैसा जमा हो जाने पर लेजर पर कस्टमर का नाम तथा रकम दर्ज की जाती है। लेजर को देखकर पासबुक बनता है और पासबुक दोनों पर प्रविष्टि करते हैं। लेजर बैंक में सुरक्षित अभिरक्षा में रहता है। कस्टमर को लेजर छुने नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार साक्षी संख्या–4 शीशिर कुमार मिश्रा जो बैंक में लिपिक सह रोकड़पाल हैं उनके प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में पे–इन स्लिप दो भाग में रहता है, एक भाग बैंक में रह जाता है। अधकट्टी कस्टमर को दिया जाता है। उनका आगे यह भी

कथन है कि कस्टमर वाले भाग पर बैंक का मुहर लगता है तथा जो अधिकारी पैसा प्राप्त करते हैं, वे अपना लघु हस्ताक्षर करते हैं। 75,000/– रुपए जमा करने का जो अधकट्टी है, उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुहर है, लेकिन उस पर पासिंग अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। यह 04.05.1995 का है। कंडिका 5 में कहते हैं कि मैंने 75,000/– रुपए लेजर देखकर पासबुक में पृविष्टि किया था। कंडिका 7 में उनका कहना है कि 75,000/– रुपए की प्रविष्टि जो लेजर में की गई थी, वह गलत थी, इसका सत्यापन मैंने नहीं किया। कंडिका 11 में न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्न में साक्षी का यह भी कथन है कि इस मामले में लेजर पर लघु हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि वह किसका हस्ताक्षर है लेकिन उस लेजर पर लघु हस्ताक्षर बैंक के अधिकारी का था। लेजर किसी भी पब्लिक को नहीं दिखाया जाता है, केवल बैंक के अधिकारी ही देखते हैं। मैं उस लघु हस्ताक्षर तथा प्रविष्टि को सही मानकार ही इसके पासबुक में दर्ज किया था। साक्षी संख्या–5 अशोक कुमार सिन्हा ने तो अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथन का समर्थन किया है, लेकिन कंडिका 6 में कहते हैं कि टोकन का नंबर मैं नहीं बता सकता। 72,000/– रुपए निकासी के संबंध में मैंने कोई कार्य नहीं किया। यह कहना गलत है कि बैंक के अधिकारी ने झुठा मुकदमा कर दिया जबकि मुदालय के पिता के खाते में 75,000/– रुपए था। ऊपर के साक्षियों के साक्ष्य के विवेचना करने से यह बात स्पष्ट हो गई है कि बैंक के लेजर में 75,000/– रुपए की प्रविष्टि 16.05.1995 को दिखाई गई है। 16.05.1995 को ही 100/– रुपए की निकासी किए जाने की प्रविष्टि है। साक्षी संख्या 7 जो इस वाद के अनुसंधानक हैं, उससे स्पष्ट होता है कि साक्षियों के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि जो लेजर की फोटोप्रति अनुसंधानक के द्वारा बैंक से प्राप्त की गई थी वह बैंक का बहुमूल्य दस्तावेज है और साक्षियों के साक्ष्य में यह भी बात स्पष्ट होती है कि वह बैंक के सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को छुने तक नहीं दिया जाता है। इस तरह साक्षी संख्या 4 शिशिर कुमार मिश्रा के साक्ष्य के कंडिका 5 में यह बात आई है कि मैंने लेजर देखकर पासबुक में 75,000/– रुपए चढ़ाया

था। न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्न में उन्होंने कहा है कि लेजर पर लघु हस्ताक्षर बैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता है। उसे किसी भी पब्लिक को नहीं दिखाया जाता है केवल बैंक के अधिकारी उसे देखते हैं। मैंने उस लेजर को देखकर ही उनके पासबुक में प्रविष्टि चढ़ाया था। इस बिन्दु पर अनुसंधानकर्ता के द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया है कि जो दस्तावेज बैंक का बहुमूल्य दस्तावेज है उस पर जो लघु हस्ताक्षर है, जिसके आधार पर साक्षी संख्या 4 ने जो यह कहा है कि लेजर देखकर पासबुक पर प्रविष्टि किया था तो वह प्रविष्टि किसके हस्ताक्षर में की गई थी और न ही उसका किसी विशेषज्ञ के द्वारा उस लिखावट की पहचान कराई गई है। इस प्रकार जो दस्तावेज बैंक का सुरक्षित और बहुमूल्य दस्तावेज है और उसमें 75,000/– रुपए की रकम का प्रविष्टि दिखाया गया है और बैंक के पदाधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के पिता के नाम जो पासबुक है, उसमें दर्ज भी है। साथ ही साथ जो दस्तावेज आवेदक के पास अधकट्टी जमा हुआ है उस पर भी भारतीय स्टेट बैंक का मुहर लगा हुआ है, इसका कोई स्पष्टीकरण न तो अभियोजन पक्ष के द्वारा दिया गया है कि वह मुहर अधकट्टी कैसे लगा, जिसे पहचान के लिए प्रदर्श–X1 अंकित कराया गया है। उस दस्तावेज पर बैंक का मूहर किस प्रकार दर्ज हुआ। विचारण न्यायालय के द्वारा अपने विवेचना में यह कथन किया गया है कि प्रदर्श–3 एवं 3/1 जो अपीलार्थी के द्वारा बैंक के नाम संबोधित दस्तावेज है, जिसमें उसने गलत कागजात तैयार करने का कथन किया है, केवल उस आधार पर किसी को दोषी नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि आपराधिक कानून का यह सिद्धांत है कि अभियोजन को अपने वाद का समस्त संदेहों से परे साबित करना होता है, लेकिन इस वाद में अभियोजन इस तथ्य को साबित नहीं किया है कि जो दस्तावेज बैंक के सुरक्षित अभिरक्षा में है, जिसमें 75,000/– रुपए की प्रविष्टि दिखाई गई है वह दस्तावेज अपीलार्थी के द्वारा किस प्रकार छल से तैयार किया गया या फर्जी किया गया, इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों का अनदेखी करते हुए एवं उस पर ध्यान दिए बिना विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 28.03.2001

पारित कर गंभीर त्रूटि किया गया है। इस वाद में अनुसंधानक का अनुसंधान काफी त्रूटिपूर्ण है जो दस्तावेज बैंक के कब्जे का दस्तावेज है उसमें उपरोक्त रकम की प्रविष्टि किस व्यक्ति के द्वारा गई।

अतएव कोतवाली थाना कांड संख्या 188/1995 से उत्पन्न सामान्य पंजी संख्या–1954/1995, विचारण संख्या–190/2001 में श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पटना के द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 28.03.2001 के विरूद्ध दाखिल इस अपील स्वीकृत करते हुए उक्त आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश को अपास्त किया जाता है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें। निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

लेखापित, शुद्धित एवं हस्ताक्षरित

(राकेश कुमार–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
पटना।
30.06.2026

(संगम सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पटना।
30.06.2026

निर्णय/आदेश की तिथि	30.06.2026
निर्णय/आदेश आरक्षित करने की तिथि	22.06.2026
अपलोडिंग तिथि	17.07.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक

XXXXXXXXXXX